

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-2 पार्ट-2/से0नि0/2019/

दिनांक:-

आदेश

ग्रेसी के.यू., नर्स-2 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर को निदेशालय के आदेश नर्सिंग/नर्स-2/से.नि./पार्ट-2/2017/658 दिनांक 06.09.2017 के द्वारा राज्य सेवा से दिनांक 31.05.2018 को सेवा निवृत्त किया गया है कि कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 18-1-2019

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-2 पार्ट-2/से0नि0/2019/86

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निर्जी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर